न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

आदेश

वाद सं0 एम0 134 / 2022–23
धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता

प्रथम पक्ष..... राधा मोहन मिश्रा .....
बनाम
द्वितीय पक्ष ..... कुमुद महंती .....

8.2.23

वाद की कार्रवाई थाना बसिया के अप्रथामिकी संख्या 12/2022 दिनांक 20.11.2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है प्रथम पक्ष राधा मोहन मिश्रा उम्र करीब 59 वर्ष पे० – स्व0 वैकुण्ड मिश्रा, सा० – बसिया, थाना– बसिया, जिला– गुमला बनाम द्वितीय पक्ष कुमुद महंती उम्र 40 वर्ष पे० – गणेश महंती सा० – बसिया, थाना– बसिया, जिला– गुमला के बीच मौजा बसिया के खाता सं0 254 प्लॉट सं0 1906, 1907, 1909 एवं 1910 रकबा 0.28, 0.03, 0.08, एवं 0.14 पर दोनों पक्ष में जमीन अपना दावा करने के कारण विवाद है। जिसको लेकर आपसी उभय पक्षों के बीच शांति एवं विधि व्यवस्था भंग होने की सम्भावना हो सकती है।थाना प्रभारी पालकोट के प्रतिवेदन के आलोक में उत्पन्न विवाद के मदेनजर उभय पक्षों को विवादित भूमि पर 60 दिनों के लिए जाने से प्रतिबंधित करते हुए उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा जवाब दाखिल किये है।

प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल लिखित जवाब एंव दाखिल कागजात :–

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए कारण पृच्छा दाखिल किया गया है कि यह कि प्रथम पक्ष शान्ति प्रिये कानून को मानने वाले सामाजिक व्यक्ति है। द्वितीय पक्ष उदण्ड किस्म के व्यक्ति है जो कानून को कुछ भी नहीं समझते है शान्ति प्रिये प्रथम पक्ष के साथ हमेशा लडाई झगड़ा करेन पर उतारू हो परेशान करते है। प्रस्तुत वाद थाना बसिया, जिला गुमला अप्राथमिकी संख्या 12/2022 दिनांक 20.11.2022 के आधार पर द० प्र० स० धारा 144 के तहत दोनो पक्षों के विरूद्ध लाया गया है । प्रस्तुत वाद मौजा बसिया थाना बसिया थाना नं० 50 जिला गुमला अंतर्गत खाता सं0 254 प्लॉट सं0 1906, 1907, 1909 एवं 1910 रकबा 0.28, 0.03, 0.08, एवं 0.14 कुल रकबा 0.53 एकड़ जमीन से संबंधित हैं। मो दयामनी कुवर से सन् 1954 में प्रथम पक्ष दादा जी लखनु मिश्र प्रश्नगत जमीन को रजिस्ट्री बिक्री लिया गया है। प्रश्नगत जमीन आर एस खतियान रिकार्ड ऑफ राईट में बकास्त मालिक लगान पाने वाला मो० दयामनी कुवंर खेवट नं० 4 खतियान में दर्ज है। मो० दयामनी कुवंर से सन 1954 में प्रथम पक्ष के दादाजी लखनु मिश्र द्वारा दाखिल खारिज करा कर लागन रशिद कटा कर जमीन पर दखल दब्जा में ले कर भोग बिलास करते आ रहे हैं । विवादग्रस्त जमीन की अतिरिक्त उपरोक्त रजिस्ट्री पट्टा में और भी जमीन है जिसका उपयोग प्रथम पक्ष के परिवार कर रहे है।

प्रथम पक्ष के दादाजी लखनु मिश्र के द्वारा उपरोक्त रजिस्ट्री जमीन में से 3 डी० जमीन सन् 1955 में हरिजन सभा भवन हेतु दान कर दिया जिसका प्लॉट नं० 1909 है । इसके अतिरिक्त प्रथम पक्ष के दादाजी एवं उनके परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा जमीन का बिक्री या बदलाएन नहीं किया गया है, ऐसी परिस्थति में किस आधार पर द्वितीय पक्ष के पिता गणेश पन्डा उर्फ गणेश महन्ती के नाम से लगान रशिद निर्गत हो रहा है। द्वितीय पक्ष के कारण पृक्षा पारा 4 से ज्ञात हुआ की द्वितीय पक्ष की पिता गणेश पन्डा उर्फ गणेश महन्ती को 14 वर्ष की उम्र में मंदिर सेवक एवं निजी सेवक के रूप में रखना बिलकुल गलत एवं गैर कानूनी है। विवाद ग्रस्त जमीन के दाता की मृत्यु 1956 ई० में हो गई एवं अदाता की मृत्यु 1957 ई० में हो गई, द्वितीय पक्ष के पास किसी तरह का कागजी प्रमाण नहीं है । विवाद ग्रस्त जमीन के दाता मो० दयामनी कुवंर द्वारा मंदिर सेवा एवं अपना सेवा के लिए द्वितीय पक्ष के पिता गणेश पन्डा उर्फ गणेश महन्ती को नहीं लाया गया था, द्वितीय पक्ष के पिता गणेश महन्ती रातु सरनाटोली राँची के निवासी थे । विवादग्रस्त जमीन का अंतरण से संबंधित किसी तरह का कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसे यह पता चलता है कि द्वितीय पक्ष का विवादग्रस्त जमीन में किसी तरह का हक सरोकार एवं सात्य का कारण नहीं बनता है। द्वितीय पक्ष के सदस्य का प्रश्नगत जमीन पर कोई अधिकार या सात्य का मामला नहीं बनता है, जो बिना हक सरोकार के प्रथम पक्ष को परेशान करने के लिए उतारू रहते है। द्वितीय पक्ष प्रश्नागत जमीन को लेकर कोई भी अप्रिये घटना कर सकते है जिसे द्वितीय पक्ष द्वारा शान्ति भग होने की प्रबल संम्भवना बनी रहती है।

अतः श्रीमान से नम्र प्रार्थना है कि उपरोक्त परिस्थति के एवं साक्ष्यों के आधार पर प्रथम पक्ष के जबाब एवं लिखित कथन को स्वीकार करते हुए प्रथम पक्ष के हित में विलुप्त करते हुए द्वितीय पक्ष को स्थिर करने का आदेश पारित किया जाय ।

प्रथम पक्ष की ओर से दाखिल कागजात।

1 रजिस्टर्ड डीड की छायाप्रति।
2 वंशावलीकी छायाप्रति।
3 लगान रसीद की छायाप्रति।
4. खतियान की छायाप्रति।
5 मूल पट्टा की छायाप्रति।

द्वितीय पक्ष के द्वारा दाखिल लिखित जवाब एवं दाखिल कागजात :–

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए कारण पृच्छा दाखिल किया गया है कि यह कार्यवाही जो धारा 144 द०प्र०सं० के अंतर्गत द्वितीय पक्ष के सदस्यगण के विरूद्ध प्रारम्भ की गई है वह विधि व तथ्यों के विपरित होने के कारण चलने योग्य नहीं है तथा द्वितीय पक्ष के हित में विलुप्त होने योग्य है। यह कार्यवाही खाता नम्बर 254, प्लॉट नम्बर 1906, 1907, 1909, एवं 1910 रकबा क्रमशः 0.28 एकड़, 0.03 एकड़, 0.08 एकड़ व 0.14 एकड़ जमीन जो ग्राम व थाना बसिया, जिला गुमला पर प्रारम्भ की गई है। खाता नम्बर 254 की जमीनों का खतियान रिभिजन सर्वे में मोसमात दयामनी कुंवर के नाम पर बकास्त मालिक के रूप में बना है। उपरोक्त जमीन के कुछ भाग पर महाराजा रातुगढ़ प्रताप उदयनाथ शाहदेव द्वारा मंदिर बनवाया गया था तथा उसके पुजारी के रूप में सामनी कुंवरी के पति मुकुन्द देवधरिया को पुजारी नियुक्त किया गया था तथा आस–पास की जमीनों के अलावा कुछ अन्य जमीनें भरण–पोषण हेतु दी गई थी। रिभिजन सर्वे के पूर्व मुकुन्द देवधरिया की मृत्यु हो गई थी इसलिए खाता नम्बर 254 की जमीनों का खतियान उनकी पत्नी मोसमात दयामनी कुंवर के नाम पर बना था परन्तु वर्षो बाद जब दयामनी कुंवर वृद्ध हो गई और मंदिर का देख–रेख करने में असमर्थ हो गई तब महाराजा रातूगढ़ द्वारा द्वितीय पक्ष के पिता गणेश पण्डा (महन्ती) को उक्त जगन्नाथ मंदिर का पुजारी (सेवक) बना दिया। महाराजा रातुगढ़ द्वारा गणेश महंती (पण्डा) को सेवक

नियुक्त करने के बाद मुकुन्द देवघरिया को बदोबस्त किए गए जगीनों को वापस अपने कब्जे में लेकर गणेश महंती को निबंधित कबूलियत सह बंदोबस्ती पट्टा द्वारा बंदोबस्त सन् 1949 ई० के लगभग कर दिया । खाता नम्बर 254 की जमीनों का बंदोबस्ती दस्तावेज गणेश महंती के पास से कहीं खो गया है परन्तु ग्राम बसिया के ही खाता नम्बर 269 कुल रकबा 4.03 एकड़ जमीन की बन्दोबस्ती सह कबूलियत पट्टा संख्या 4801 / 1949 दिनांक 18.10.1.49 के लेख में उपरोक्त खाता नम्बर 254 की जमीनों की बन्दोबस्ती व अन्य तथ्यों का पूर्ण उल्लेख है। उक्त बन्दोबस्ती सह कबूलियत पट्टा में यह उल्लेखित है कि "गणेश पण्डा को जगन्नाथ गुड़ी का पुजारी नियुक्त किया गया और वे बसिया में रहकर पुजा पाठ करेंगे और भरण–पोषण हेतु खाता नम्बर 269 की जमीन का उपभोग व जोत आबाद करेगें और जगन्नाथ गुड़ी (मंदिर) में खर्च करेंगे। इसके अलावा मसोमात दयामनी कुंवर को उसके जीवनभर खाना कपड़ा दिया करेंगे।" उक्त पट्टा के लेख से यह स्पष्ट है कि गणेश महंती को जगन्नाथ मंदिर का पुजारी नियुक्त कर दयामनी कुंवर के नाम पर दर्ज जमीनों को महाराजा रातूगढ़ द्वारा गणेश महंती के पक्ष में बन्दोबस्त किया गया था तथा सन् 1949 ई० से ही गणेश महंती जो द्वितीय पक्ष के पिता है के दखल में खाता नम्बर 254 की जमीनें है जिसमें मंदिर भी शामिल है तथा द्वितीय पक्ष का घर भी बना है जिसपर उनका पूरा परिवार रहता चला आ रहा है और दयामनी कुंवर का आजीवन भरण–पोषण गणेश महंती द्वारा किया गया तथा मरणोपरांत उनका अंतिम संस्कार भी किया गया । जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् गणेश महंती के नाम पर उपरोक्त जमीनों की जमाबंदी भी दाखिल खारीज वाद संख्या 2R27/1962–63 द्वारा सरकार ने कायम की तथा उसी समय से द्वितीय पक्ष के पिता के नाम पर उक्त भूमि की जमाबंदी चली आ रही है । गणेश महंती द्वारा प्लॉट नम्बर 1908 के 0.13 एकड़ में से 0.03 एकड़ भूमि धर्मशाला हेतु सन् 1962 ई० में दान की थी जिसपर धर्मशाला अवस्थित है तथा उसका जिक्र नामान्तरण वाद संख्या 2R27/1962-63 के नापी प्रतिवेदन में भी अंकित है। इसके अलावा सन् 1999 ई० में भी प्लॉट नम्बर 1906 का कुल रकबा 0. 28 एकड़ में से 0.05 एकड़ जमीन पूनम देवी पति प्रदीप सोनी को बिक्री भी गणेश महंती द्वारा की गई है जिसपर पूनम देवी मकान बनाकर दखलकार है तथा अपने नाम से नामान्तरण करवाकर सरकार को मालगुजारी अदा करती चली आ रही है। वर्तमान में प्लॉट नम्बर 1908 के ही भाग पर जिसमें थोड़ी जमीन प्लॉट नम्बर 1910 की भी आती है पर द्वितीय पक्ष द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा था परन्तु प्रथम पक्ष द्वारा उक्त भूमि पर बिना किसी हक सरोकार व दखल के निर्माण कार्य में विघ्न उत्पन्न करने हेतु यह वाद प्रारंभ कराया गया है। प्रथम पक्ष द्वारा मोसमात दयामनी कुंवर द्वारा उसके दादा लखन मिसिर के पक्ष में सन् 1954 ई० में निष्पादित बिक्रय पत्र के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर दावा किया जा रहा है परन्तु सन् 1949 ई० के कबूलियत सह बंदोबस्ती पट्टा के आधार पर दयामनी कुंवर को वाद ग्रस्त भूमि बेचने का ही अधिकार नहीं था और उक्त भूमि गणेश महंती के हक व दखल में सन् 1949 ई० के लगभग से ही थी । यही कारण है कि सन् 1962–63 ई० में वादग्रस्त जमीनों की जमाबंदी गणेश महंती के नाम पर कायम हुई तथा प्रथम पक्ष के दादा लखन मिसिर के नाम पर मात्र 1.30 एकड़ जमीन की जमाबंदी कायम हुई और 0.53 एकड़ जमीन की जमाबंदी उसके नाम पर कायम नहीं हुई क्योंकि उसके विक्रय पत्र में कुल 1.83 एकड़ जमीन वर्णित है । खाता नम्बर 254 प्लॉट नम्बर – 404, 405 रकबा 0.30 एकड़ एवं 1.00 एकड़ मात्र इन दोनों प्लॉट की जमाबंदी लखन मिश्रा के नाम पर कायम है। वादग्रस्त प्लॉट 1910, 1906, 1909, 1907 रकबा – 0. 14 एकड़, 0.28 एकड़, 0.08 एकड़, 0.03 एकड़ कुल रकबा 1.83 एकड़ इनकी जमाबंदी द्वितीय पक्ष के पिता गणेश महंती के नाम पर सन् 1962–63 (नोट प्लॉट नं० 4 1908, रकबा 0.10 एकड़ की जमाबंदी भी गणेश महंती के नाम पर कायन है) जो प्रस्तुत बाद में नहीं है। जहाँ तक प्लॉट नम्बर 404 व 405 का प्रश्न है वह खतियान बनने के पूर्व से ही अन्य व्यक्तियों के कब्जा में है जिसका जिक्र खतियान के कैफियत खाना (कॉलम नम्बर 17) में ही वर्णित है उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रथम पक्ष के दादा के पक्ष में निष्पादित बिक्रय पत्र कभी भी क्रियान्वित नहीं हुआ है और उसका वाद ग्रस्त जमीन पर कोई हक दखल व कब्जा नहीं है । प्रथम पक्ष द्वारा वाद ग्रस्त भूमि पर अवैध दावा करने पर द्वितीय पक्ष के पिता द्वारा अंचल अधिकारी बसिया को शिकायत की गई थी जिसपर प्रतिवेदन की मांग राजस्व कर्मचारी से की गई थी और प्रतिवेदन भी समर्पित किया गया है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि पंजी ॥ में वादग्रस्त जमीन की जमाबंदी गणेश महंती के नाम पर कायम है तथा उक्त भूमि पर गणेश महंती का दखल कब्जा एवं 38 सागवान का पेड़ व मंदिर पाया गया है । द्वितीय पक्ष द्वारा पूर्व में भी कारण पृच्छा दाखिल की गई है परन्तु दस्तावेज की कमी के कारण काफी बातों का उल्लेख उसमें नहीं

था इसलिए पुनः यह कारण पृच्छा सह लिखित बहस दाखिल किया जा रहा है।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि धारा 144 द०प्र०सं० की कार्यवाही द्वितीय पक्ष के हित में विलुप्त करते हुए प्रथम पक्ष के विरूद्ध स्थित करने की कृपा की जाय ।

द्वितीय पक्ष की ओर से दाखिल कागजात।

1 खाता सं0 254 की खतियानी की छायाप्रति।
2 कबुलियत पट्टा नं0 4801/1949 की छायाप्रति।
3 पंजी।। की छायाप्रति।
4 शुद्धिपत्र की छायाप्रति।
5 प्रथम लगान रसीद 63–64 की छायाप्रति।
6. झारखण्ड सराकर द्वारा निर्गत लगान रसीद की छायाप्रति।
7 ऑनलाईन रसीद की छायाप्रति।
8 दिनांक – 16.03.1958 में मो0 दयामुनी कवंर देवधरियाईन के मृत भोज निमंत्रण पत्र की छायाप्रति।

निष्कर्ष

उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा दाखिल लिखित जवाब से मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ कि वादगत भूमि बसिया थाना नं० 50 जिला गुमला अंतर्गत खाता सं0 254 प्लॉट सं0 1906, 1907, 1909 एवं 1910 रकबा 0.28, 0.03, 0.08, एवं 0.14 कुल रकबा 0.53 एकड़ जमीन से संबंधित हैं। वादग्रस्त भूमि आर0एस0 खतियान में मोस्मात दयामनी कुवंर के नाम से बकारत मालिक के नाम से दर्ज है। उनकी मृत्यू के उपरांत महाराजा रातुगढ के द्वारा उक्त भूमि को सन् 1949 में निबंधित कबुलियत सह बंदोबस्ती पट्टा सं0 4801/1949 द्वारा गणेश महंती के नाम से बंदोबस्त किया गया। जमींदारी उन्मूलन के पश्चात वादग्रस्त भूमि को अंचल कार्यालय द्वारा दाखिल खारीज वाद सं0 2R27/1962-63 जमाबंदी कायम किया गया जो गणेश महंती के नाम से अभी तक चली आ रही है। इसी वादग्रस्त भूमि खाता सं0 254, प्लॉट सं0 – 1908 में से 0.03 एकड़ भूमि गणेश महंती के द्वारा धर्मशाला निर्माण हेतु दान किया गया था जिसपर धर्मशाला अवस्थित है। इसके अतिरिक्त गणेश महंती द्वारा वादग्रस्त भूमि खाता सं0 – 254, प्लॉट सं0 – 1906 में 0.05 एकड़ भूमि पुनम देवी, पति – प्रदीप सोनी को निबंधित बिक्री पट्टा द्वारा बिकय किया गया जिसपर पुनम देवी नामांतरण कराकर एवं मकान बनाकर दखलकार है। वादग्रस्त भूमि के 1906 एवं 1907 में मन्दिर एवं मकान बनाकर गणेश महंती के वारीसान द्वितीय पक्ष के कुमुद महंती व परिवार दखलकार है। वादग्रस्त भूमि के खाता सं0 254 के प्लॉट सं0 404, रकबा – 0.30 एकड़ एवं प्लॉट सं0 405, रकबा – 1.00 एकड़ की जमाबंदी लखन मिश्रा के नान पर कायम है जो कि वादग्रस्त भूमि से अलग है। प्रथम पक्ष राधा मोहन मिश्रा द्वारा बताया गया है कि सन् 1954 में लखनु मिश्रा द्वारा बिक्री पट्टा के माध्यम से वादग्रस्त भूमि निबंधित पट्टा से खरीदे है, परन्तु उनके द्वारा उस बिकय पट्टा का कियान्वयन नहीं कराया गया और न ही पंजी ।। में उनका जमाबंदी है। इस वादग्रस्त भूमि पर उनका दखल भी नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर द्वितीय पक्ष के हित में आदेश पारित किया जाता है तथा प्रथम पक्ष को स्थिर किया जाता है। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, बसिया एवं थाना प्रभारी, बसिया को भेजें।

Digitally signed by SANJAY PM. KUJUR
Date: 2023.02.07 13:13:17 +05:30
Location: 192.168.156.240

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।